आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर भारतीय किसान

डॉ. संतराम यादव
भा.कृ.अनु.प. – केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, संतोषनगर, हैदराबाद
संवादी लेखक का ई–मेलः sryadav1220@gmail-com

शाखें रहीं तो फूल भी, पत्ते भी आएंगे । ये दिन अगर बुरे हैं, तो अच्छे भी आएंगे । इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर हमारा किसान अपने लक्ष्य की ओर सदैव सजग रहता है। कहते हैं कि आज इंसान के जीवन में शांति नहीं है। यह धारणा एकदम गलत है। हमें अपने किसानों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जीवन का मूल आधार ही शांति है। यह शास्वत नियम है। इंसान शांत स्वरूप है। शांति उसमें कूट कूट कर भरी है। भारतीय महापुरूषों ने परमार्थ हेतु अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। 'खाओ पिओ और मौज करो' यह हमारी संस्कृति नहीं है। बल, बुद्धि और विद्या आदि को परहित में लगाना ही परमार्थ है। इसी से हमारी पहचान बनी है। यह शरीर भोग के लिए नहीं अपितु दूसरों की सेवा के लिए है। यही कारण है कि किसानों के निरंतर अथक प्रयासों से आज दुनिया में गन्ना उत्पादन में हम दूसरे नंबर स्थान और दाल उत्पादन में तीसरे नंबर स्थान पर हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु केवल आयात कम करना ही नहीं, अपितु हमारी क्षमता, हमारी रचनात्मकता और कौशल को बढ़ाना भी है। एक समय था जब हमारी कृषि व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई थी। तब सबसे बड़ी चिंता थी कि देशवासियों का पेट कैसे भरें ...आज जब हम सिर्फ भारत ही नहीं अपितु दुनिया के कई देशों का पेट भर सकते हैं। देश के किसानों को आधुनिक ढांचागत सुविधा देने के लिए भारत सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए का कृषि बुनियादी ढांचा कोष भी बनाया है।

एक कहावत है कि इतिहास एक घटना है परंतु साथ ही वह एक गहना भी है। यदि वह बीता हुआ कल है तो आने वाले कल का एहसास भी कराता रहता है। जहां एक ओर वह पुरुषार्थ और पराक्रम की पीड़ा को संजोए है तो दूसरी ओर उसके पराक्रम की प्रेरणा भी है। वह हमारे प्रयत्नों का पारखी है, तो हमारे परिश्रम का प्रतिबिंब भी है। इसका अतीत हमें सतर्क करता है, तो हमें सजग रहना भी सिखाता है। यही बातें भारतीय कृषक पर भी यथावत लागू होती हैं। भारत ने अपनी उपलब्धियों को हमेशा विश्व के साथ साझा किया है। भारत की विकास साझेदारी लोगों को सशक्त करने के लिए है। उन्हें कमजोर करने के लिए नहीं। इस महान देश ने कभी भी दूसरों की निर्भरता बढ़ाने के लिए या भावी पीढ़ियों के कंधों पर कर्ज का असंभव बोझ डालने का प्रयास नहीं किया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन सीधा सादा होता है। वह सुबरह सवेरे उठकर पशुओं को खाना चारा देता है और खेतों में चला जाता है। अपने खेतों में वह डटकर काम करता है। इन्हीं कृषकों के बल पर हमने सदैव गर्व का अनुभव किया है। समर्थ, सशक्त और समृद्ध भारत दक्षिण एशिया और इंडो–पेसीफिक में ही नहीं, पूरे विश्व में शांति, विकास और सुरक्षा का आधार स्तंभ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हर भारतीय अपनी शक्ति और क्षमताओं का उपयोग केवल अपनी समृद्धि और सुरक्षा के लिए ही नहीं करेगा बल्कि इस क्षेत्र के अन्य देशों की क्षमता के विकास में, आपदाओं में उनकी सहायता के लिए तथा सभी देशों की साझा सुरक्षा, संपन्नता और उज्ज्वल भविष्य के लिए करता रहेगा। किसानों का मुख्य पेशा कृषि है। पशुपालन उनका सहायक पेशा है। ये पशु कृषि कार्य में किसानों का सहयोग करते हैं। जहां बैल उनकी हल और गाड़ी खींचते हैं, वहीं गाय उनके लिए दूध, गोबर और बछड़े देती है। वे भैंस, बकरी, कुक्कट आदि भी पालते हैं जिनसे उन्हें अतिरिक्त आमदनी होती है। हमारा किसान हमें सिखाता है कि मनुष्य को किसी से कुछ लेने की नहीं बल्कि देने की आदत डालनी चाहिए। सेवा करना मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। विपत्तियों से घबराएं नहीं। इससे प्रसन्नता बनी रहेगी और वह प्रसन्नता समस्याओं के समाधान की राह दिखाएगी। किसान माटी के समृत होते हैं। वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं। वे अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं। वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते परंतु उन्हें खेती की बारीकियों का ज्ञान होता है। वे मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर तदनुसार नीति निर्धारित करने में दक्ष होते हैं। वास्तव में ही हमारे किसान प्रकृति के सहचर होते हैं।

हवा भी बेकसूर, दीया भी बेकसूर। इसे चलना है जरूर, उसे

जलना है जरूर । बदलता परिवेश आज बहुत कुछ सोचने पर विवश कर रहा है। आज देहाती लोग शहरी जीवन की चकाचौंध से प्रेरित, आकर्षित व प्रभावित होकर इसकी सुख सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। परिणामस्वरूप छोटे छोटे गांव वीरान होने लगे हैं। हमें प्रयास करना होगा कि गांवों में भी शहरों जैसी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं। रोजगार के नए नए अवसर गांवों में ही पैदा किए जाएं जिससे कि ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर बढ़ने का प्रतिशत कम होता नजर आए। समय का चक्र सदैव आगे की ओर बढ़ता रहता है। जो समय हमारे अनुकूल होता है, वह शीघ्र बीत जाता है परंतु जो समय हमारे प्रतिकूल होता है, वह बहुत सताता है। इसीलिए कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान होता है। वह सदैव आगे ही चलता रहता है। वह पीछे कभी नहीं मुड़ता। समय की घड़ी को हम लाख चाहने पर भी पीछे की ओर नहीं घुमा सकते। अतः हमारे हाथ से बीता हुआ एक पल भी हमें वापस नहीं मिल सकता। इसलिए हमें सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे हाथ में जो समय है, वह बहुत ही मूल्यवान है। इसका मूल्य जानकर हमें समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। किसान के लिए यही बातें लागू होती हैं। इंड़ो पेसिफिक क्षेत्र हमारी जीवन रेखा और व्यापार का राजमार्ग है। यह हर मायने में हमारे साझा भविष्य की कुंजी है। इस क्षेत्र में खुलेपन, एकीकरण एवं संतुलन कायम करने के लिए सबके साथ मिलकर काम करने की नितांत आवश्वकता है। यही कारण है कि भारत हाइवेज, वॉटरवेज, एयरवेज और आई–वेज सहित कनेक्टिविटी के विभिन्न रूपों पर फोकस कर रहा रहा है। बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, किसान को सिंचाई और जन–जन की सुनवाई सुनिश्चित करने अर्थात् पूरे देश में विकास की पंचधारा बहाने हेतु सरकार निरंतर प्रयासरत है। दिन–ब–दिन नित नवीन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। देश में बिजली, पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अहम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। किसानों और जनता की पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए, वर्षा जल संचयन, बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और सोलर पावर प्लांट्स की मंजूरी दी जा रही है।

मनुष्य प्रकृति का नायाब तोहफा और धरातल का सबसे समझदार प्राणी है। प्रकृति की यह एक अनमोल रचना है। आज का किसान कम समय में सर्वाधिक उपज लेने हेतु अधिकाधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करने लगा है। परिणामस्वरूप जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर होती जा रही है। यही कारण है कि जैविक खेती जरूरत आज की नामक स्लोगन मार्केट में चल पड़ा है। आज देश में चहूं ओर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। किसान भी इससे अछूता नहीं है। जिनके पास पैसा है वे लोग जमीन में काफी गहराई तक जाकर कूप नलिका के माध्यम से पानी खींच रहे हैं। परिणामस्वरूप भूजल का स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। भारतीय जनसंख्या का बढ़ता स्वरूप विकराल रूप धारण करता जा रहा है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों की निरंतर कटाई करनोपरांत आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नए नए उद्योग धंधों का पदार्पण हो रहा है। दिन प्रतिदिन घटता वनक्षेत्र वन्य प्राणियों के लिए विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इसलिए हमें निरंतर खबर आती रहती है कि वन्य प्राणियों का मानव आबादी में प्रवेश हो गया। चाहे आप इसे भटकाव कहिए या फिर हमारी करनी का फल कहिए। वन्य प्राणियों से जुड़े लोगों के लिए यह अब आम बात हो गई है। अपने भोजन की तलाश में जंगली पशु ग्रामीण आबादी में प्रवेश करने से अब हिचकते नहीं है। हमारे घटते वन क्षेत्र के कारण पशु–पक्षी और वनस्पतियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। सूनामी, भूकंप, वातावरण में परिवर्तन आदि के लिए केवल मनुष्य प्राणी ही जिम्मेदार है। हमारी नदियां सूख गई हैं। बढ़ता जन क्षेत्र और पानी के अभाव में जड़ी बूटियों की अनेकानेक प्रजातियां लुप्तप्राय होती जा रही हैं। पशु पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां भी खत्म होने के कगार पर हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी आज का इंसान सदैव दूसरों में दोष ढूंढता रहता है। वह स्वयं की कमियों को न देखकर दूसरों में कमियां तलाशता रहता है। हमें भारतीय कृषकों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अपने दोषों को सुधारने का साक्षात संदर्भ भी किसान से सीखना ही है। एक कुशल चित्रकार ने अपना एक चित्र प्रदर्शनी में रखते हुए नीचे लिख दिया कि कृपया इस चित्र में जहां भी गलती हो, वहां निशान लगा दीजिए। फिर क्या था लोगों ने उस चित्र की सूरत ही बदल दी। जब चित्रकार ने उसे देखा तो वह बहुत ही व्याकुल हुआ। अगली बार उसने उसी चित्र में कुछ गलतियां रखकर प्रदर्शनी में रखा और उसके दोष ठीक करने का अनुरोध किया। अबकी बार उसने चित्र को यथावत पाया क्योंकि किसी ने भी उसमें दोष नहीं निकाला था। चित्रकार के आश्चर्य का ठिकाना न था क्योंकि इस बार के चित्र में उसने जानबूझकर गलती की थी, फिर भी किसी ने उसको नहीं पकड़ा।

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि सबसे अहम है। देश की आधे से अधिक आबादी कृषि या उससे जुड़े किसी काम पर निर्भर है। सिर्फ कृषि से ही देश के जी.वी.ए. यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में 17 फीसदी का योगदान होता है। अगर सही से पानी ना मिले तो बीज और फर्टिलाइजर्स अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा सकते हैं। वैश्विक नियमों के अनुसार अगर कहीं पर प्रति व्यक्ति पानी 1700 क्यूबिक मीटर से कम होता है तो माना जाता है कि वहां वॉटर स्ट्रेस की स्थिति है। वहीं अगर प्रति व्यक्ति पानी का लेवल 1000 क्यूबिक मीटर से कम होता है तो माना जाता है कि वहां पानी की कमी हो गई है। भारत में ये आंकड़ा 1544 क्यूबिक मीटर है, यानी यहां वॉटर स्ट्रेस की स्थिति है। भारत में पानी की स्थिति की बात करें तो भारत में हर साल करीब 4000 अरब क्यूबिकक्यूमिब मीटर बारिश होती है। हालांकि, इसमें से 48 फीसदी इस्तेमाल हो जाता है। शहरी भारत की करीब 40 फीसदी मांग को जमीन के पानी से पूरा किया जाता है। ग्राउंडवॉटर की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। पिछले चार दशकों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया गया 84 फीसदी पानी जमीन से निकाला गया। उदाहरण के लिए बिहार के 12 जिले बाढ़ की मार झेल रहे हैं तो 15 जिले सूखे से पीड़ित हैं और वहां ग्राउंडवॉटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है। ओडिशा में करीब 1500 मिलीमीटर बारिश हर साल होती है। हालांकि, हर गर्मी में राज्य के कुछ हिस्सों में सूखाग्रस्त हालात बन जाते हैं।

2019–20 के आर्थिक सर्वेक्षणानुसार स्थाई कृषि अभियान के लिए माइक्रो–इरिगेशन का सुझाव दिया गया है। इस तकनीक का धान, गेंहू, आलू, प्याज जैसी खेती में बड़ी अहमियत है। इसकी मदद से किसान 20–48 फीसदी तक सिंचाई का पानी बचा पा रहे हैं। एनर्जी एफिशिएंसी 10 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गई है। लेबर कॉस्ट सेविंग 30 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी हो गई है। फसल का उत्पादन भी 20 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। सर्वे के अनुसार अगर सिंचाई के पारंपरिक तरीके से तुलना करें तो इस तकनीक से उतने ही पानी के जरिए अतिरिक्त एरिया की सिंचाई हो सकती है। माइक्रो–इरिगेशन से यह भी सुनिश्चित होता है कि उससे पानी की कमी वाली जमीन, बंजर जमीन और अतिरिक्त जमीन की सिंचाई की जा सकती है। सिंचाई के इस तरीके से किसानों और अर्थव्यवस्था दोनों को ही फायदा होगा। पानी के संकट की इस घड़ी में भारत की मदद माइक्रो–इरिगेशन यानी सूक्ष्म सिंचाई से हो सकती है। इससे ना सिर्फ पानी की कमी की समस्या से छुटकारा मिलेगा, बल्कि फर्टिलाइजर की खपत भी कम होगी। इसमें पोषक तत्व को सीधे जमीन में न डालकर एक विशेष प्रणाली के जरिए दिया जाता है। पानी का काफी बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है। पानी के कुओं को पानी के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माइक्रो इरिगेशन की वजह से पानी का जमीन में रिसाव कम हो जाता है। इसमें मेंटेनेंस की जरूरत भी काफी कम होती है। बचे हुए पानी को अगली फसल में लाया या जा सकता है। जमीन स्थाई रूप से सिंचाई के लिए घिरी नहीं रहती है। दूसरी ओर कैनाल इरिगेशन सिस्टम अपनाने के कारण बहुत सारी जमीन घिर जाती है। पानी के वाष्पीकरण से पानी का नुकसान होता है, जिससे पानी की एफिशिएंसी यानी दक्षता घटती है। पानी बराबर से हर जगह नहीं पहुंचता। खेती की जमीन का नुकसान होता है। बहुत सारा पानी जमीन में रिस जाता है।

कृषि उत्पादन में वृद्धि पूर्व में जनवृद्धि दर से भी कम रही। निम्न स्तर पर सीमित विकास के बावजूद आज भी भारतीय कृषि परंपरावादी है। अधिकांश भारतीय किसान खेती को व्यवसाय के रूप में न अपनाकर जीविकोपार्जन हेतु अपनाते हैं। कृषि की पुरानी परंपरागत विधियों, पूंजी की कमी, भूमि सुधार की अपूर्णता, विपणन एवं वित्त संबंधी कठिनाइयों आदि के कारण भारतीय कृषि की उत्पादकता अत्यंत न्यून बनी रहती है। अब नई पीढ़ी में शिक्षा एवं कृषि को कमाई का साधन बनाने की प्रवृति से भी कृषि एवं कृषक की आर्थिक दशा में कुछ सुधार आने लगा है। आज परिस्थिति इतनी बदल गई है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति उपलब्ध भूमि का औसत कम होता जा रहा है। इसके साथ ही साथ भूमि का असंतुलित वितरण भी कई स्थानों पर किसानों को बहुत कुछ सोचने पर विवश करता रहता है। आज की परिस्थितियों के संदर्भ में देखने से पता चलता है कि हमारी प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। कभी कभी कृषि की न्यून उत्पादकता का बनना किसान की चिंता को ओर बढ़ाता रहता है। अतीत में देश के अधिकांश भागों में औसत उत्पादन स्तर अधिकांश विकसित व कई विकासशील देशों (इंडोनेशिया, फिलिपींस, मेक्सिको, ब्राजील, ईसीएम के देश आदि) से भी काफी कम रहा था। 'हरित क्रांति' और निरंतर सरकारी के प्रयासों ने कृषकों को लाभप्रद स्थिति में पहुंचाया है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने की प्रवृत्ति का यह परिणाम निकला कि अब वे भी नित नवीन इजात

की गई तकनीकी को अपनाने से हिचकते नहीं हैं। रबी की फसलावधि में सरसों एवं खरीफ में सोयाबीन व मूंगफली का बढ़ता उत्पादन सरकार द्वारा ऊंची कीमतें निर्धारित करने से ही संभव हो सका है। आज राजस्थान सरसों एवं तिल, गुजरात मूंगफली एवं मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादक प्रमुख प्रदेश बन चुके हैं।

तेरे दर पे आने से पहले, मैं बड़ा कमजोर होता हूं। मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं। खुद पर भरोसा और ऊपर वाले पर विश्वास रखकर किसान ने जिंदगी में इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। देश का किसान भाग्यवादी दृष्टिकोण अपनाए हुए है। हालांकि कृषि उत्पादन संबंधी उसे पर्याप्त अनुभव है, किंतु अनेक बार शीत लहर, पाला व कभी कभार बेमौसम के ओले और सर्दी उसकी फसल को नष्ट कर देते हैं। परिणामस्वरूप उसे अपने श्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए वह कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं बल्कि, जीवन–यापन की प्रणाली के रूप में अपनाता है। स्वभावतः वह वांछनीय मात्रा में उत्पादन उपलब्ध नहीं कर सकता। किसान की इसी भाग्यवादी प्रवृत्ति में परिवर्तन करने की एक रीति यह है कि उसे अधिकाधिक शिक्षित करने का प्रयत्न किया जाए। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संकटों का सामना करने के लिए वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करने की चेष्टा करनी चाहिए। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। भारत में पशुओं की संख्या अत्यधिक है। पशुओं के गोबर और मूत्र से तथा अन्य बेकार वस्तुओं से भी अधिकाधिक खाद प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कंपोस्ट तथा खाद उपलब्ध हो सकती है। दुर्भाग्य से गोबर का अधिकांश भाग ईंधन के रूप में जला दिया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सस्ते ईंधन का अभाव है। फलतः खेतों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाती, जिससे उत्पादन की स्थिति अच्छी नहीं है। वर्तमान में कृषि के विकास में रासायनिक उर्वरकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मृदा की सीमांत उत्पादकता अभी भी चुनौती बनी हुई है परंतु मृदा विश्लेषण के आधार पर वर्धित एनपीके और उचित पोषणों के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। कंपोस्ट खाद घरेलू गैस, सिंचाई का उपयोगी जल, अन्य उपयोगी पदार्थ व गैस विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इससे खेतों की उत्पादकता बढ़ने, भूक्षरण में कमी एवं ईंधन की आपूर्ति होने से लकड़ी व वनों पर दबाव भी घटता है। सिंचाई के साधनों के सीमित विकास ने अवश्य किसानों के लिए रुकावटें पैदा की थी परंतु अब उसने उनसे भी निबटने के तरीके खोज लिए हैं। अधिकांशतया भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, क्योंकि आज भी कुल कृषि योग्य भूमि के 41 प्रतिशत में सिंचाई होती है। देश में वृहत और मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिए सिंचाई की पर्याप्त संभावनाओं का सृजन किया गया है। मानसून पर इतनी अधिक निर्भरता का प्रभाव यह होता है कि देश के अधिकांश भाग की कृषि प्रकृति की दया पर निर्भर है। इसलिए जब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती, तब तक भूमि में खाद देना भी संभव नहीं है, क्योंकि खाद का यथोचित प्रयोग करने के लिये काफी जल चाहिए, अन्यथा सामान्य खेती के सूखने का भी भय बना रहता है। सिंचाई की यह कमी कम वर्षा वाले पठारी भागों एवं सारे उत्तर पश्चिमी भारत में विशेष रूप से महसूस की जाती है, क्योंकि औसतन वर्षा सौ सेंटीमीटर से भी कम एवं वर्षा की अनिश्चितता पैंतिस प्रतिशत से भी अधिक रहती है।

आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी मालूम होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती, फिर भी वह निरंतर जल और थल के ऊपर ऊंची व लंबी उड़ाने भरता रहता है। ठीक इसी तरह किसानों को कृषि कार्य में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। बढ़ती कृषि लागत से वह परेशान नजर आता है। किसानों को अच्छे बीज खरीदने पड़ते हैं जो बहुत महंगे दामों में मिलते हैं। ट्रैक्टरों या हल–बैल से खेत की जुताई भी आसान नहीं होती। खेतों में सिंचाई के लिए बिजली या पंपसैट की आवश्यकता होती है। किसानों को कृषि कार्य में अन्य मजदूरों की सेवाएं लेनी पड़ती है जिसके बदले उन्हें धन व्यय करना पड़ता है। फसल कटाई से लेकर मंडियों में पहुंचाने तक काफी खर्चा आता है। इतना सब कुछ करने के बाद यदि मंडी में फसल की उचित कीमत न मिले तो वे निराश और हताश हो जाते हैं। उन्हें कर्ज लेकर अगली फसल बोने की तैयारी करनी पड़ती है। भारतीय किसानों को प्रकृति से भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। चूंकि हमारे देश में दो तिहाई कृषि वर्षा और मानसून पर आधारित है इसलिए किसानों को कभी सूखा तो कभी सूखे के बाद की स्थिति से निबटना पड़ता है। सूखा होने पर फसल सूख जाती है तो बाद में फसल बह जाती है। यदि इंद्रदेव कृपालु भी बने रहें तो फसलों को ओला, पाला और तूफान से भी निरंतर खतरा बना रहता है। पकी फसलों पर ओले पड़ गए तो सब गुड़ गोबर हो गया। दाने खेतों में ही झड़ गए। ऐसी स्थिति में यदि समय पर धूप न निकली तो

फसलों पर कीटाणुओं का प्रकोप बढ़ जाता है। फिर भी प्रकृति से लड़ते व भिड़ते किसान देश भर की आवश्यकताओं के अनुरूप खाद्यान्न उत्पादित कर ही लेते हैं।

कृषि यंत्रों का उत्पादन एवं उपयोग करना किसान के लिए वरदान साबित हो रहा है। कृषि में मशीनों एवं यंत्रों के उपयोग से कृषि कार्य उचित समय पर, उचित दक्षता तथा न्यूनतम लागत पर कर पाना संभव हो गया है। कृषि क्षेत्र में मुख्यतः ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, पावर टिलर, पंपसेट, स्प्रेयर तथा डस्टर उपयोग में लाए जाते हैं। कृषि भूमि के बढ़ते क्षेत्र को उचित गहराई तक जोतने में ट्रैक्ट्रों की प्रमुख भूमिका होती है। ट्रैक्टर भूमि को जोतने व बोने के अतिरिक्त, माल ढोने तथा थ्रेसर चलाने, कुट्टी काटने, स्प्रेयर चलाने तथा सिंचाई के लिये पंपसेट चलाने वाली मशीनों के रूप में भी काम आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ श्रम करते हैं। वे मेहनत करके अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। लहलहाती फसलों को देखकर प्रसन्न हो उठते हैं। वे फसलों की लगातार निगरानी करते हैं। फसल कटाई करनोपरांत अनाज का भूसा मवेशियों के भोजन के लिए सुरक्षित रख लिया जाता है। जरूरत भर का अनाज और सब्जी घर में रखकर शेष मंडियों में बेच देते हैं। इनसे हुई आमदनी से उनका साल भर का गुजारा होता है। भारतीय किसान की एक महत्त्वपूर्ण समस्या यह रही है कि उसे अपना माल मंडियों में बेचना पड़ता है। कभी कभी ये मंडियां उसके खेतों से बहुत दूर होती हैं, जहां पहुंचने के लिए यातायात के साधन पर्याप्त नहीं हैं या इनके विक्रय की व्यवस्था ठीक नहीं है। अधिकांशतया किसान को अपने माल के उचित दाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इनसे बचकर वह अपना माल ग्राम के साहूकार को ही ओने पौने दाम में बेच देता है, जो परेशानी का सबब बनता है। परंतु अब भारतीय किसानों के लिए अच्छे दिनों का आगमन हुआ है और नया कृषि कानून उन्हें मनमाफिक दामों पर अपनी फसलों को कहीं पर भी बेचने की आजादी प्रदान करता है। इससे उनकी आमदनी में अवश्य बढ़ोतरी का आशा है।

भारतीय किसान कृषि की उन्नत एवं आधुनिक वैज्ञानिक कृषि का अनुसरण करने लगे हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। बीज, खाद एवं कृषि उपकरण खरीदने में उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी समय समय पर प्रदान की जाने लगी है। सरकार उनके लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है और समय समय पर किसान के विपरीत मौसमी परिस्थितियों के कारण ऋण माफ भी कर देती है। किसानों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है परंतु अब भी उसे अनेक प्रकार की सहूलियतों की आवश्यकता है। उसके लिए उचित समय पर बिजली, पानी, खाद, बीज एवं कृषि यंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए। फसल बीमा को अनिवार्य बनाकर उसे प्राकृतिक विपत्तियों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यदि इन्हें किसान हित में सरकारी स्तर पर ईमानदारी से क्रियान्वित किया जाता है तो खेती किसान के लिए वरदान ही साबित होती रहेगी।

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न इस संकटकाल से निपटने में देश के किसानों के योगदान की प्रशंसा चहूं ओर की जा रही है। किसानों के चलते भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत है और इससे पूरी अर्थव्यवस्था को सहारा मिला है। इंडियन रेलवे किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान स्पेशल ट्रेन चला रही है। इस तरह की पहली ट्रेन नासिक से बिहार के दानापुर के लिए शुरू की गई थी। दूसरी किसान स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेल के बरौनी से टाटानगर के बीच दूध की सप्लाई के लिए शुरू की गई। किसान रेल का मकसद किसानों की इनकम को दोगुना करना है। ट्रेन की मदद से किसान देश के कोने–कोने से फल, फूल, सब्जी जैसे उत्पादों को कम समय में लाकर ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अगर ये सामान ट्रक से जाते हैं तो कई दिन का समय लग जाता है और ज्यादा समान खराब हो जाते हैं। इस ट्रेन में कंटेनर फ्रीज की तरह होंगे। मतलब यह एक चलता–फिरता कोल्ड स्टोरेज होगा। इसमें किसान खराब होने वाले सब्जी, फल, फिश, मीट, मिल्क रख सकेंगे। इससे उनका नुकसान कम होगा। 'किसान रेल' पूरी तरह से वातानूकुलित है। ये एक तरह से पटरी पर दौड़ता कोल्ड स्टोरेज है। इससे शहर के लोगों को ताजी वस्तुएं मिल सकेंगी और किसानों को अपनी फसल स्थानीय मंडियों पर मजबूरन बेचना नहीं पड़ेगा। वर्तमान परिस्थितियों में यह उक्ति किसानों पर पूरी तरह सफलीभूत होती नजर आती है कि लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक, होंसला बनाए रखिए ।